


गोपीनाथ - सावधान मुकदमा 74/08

दिनांक	आज्ञा पत्र	
31.5.18	<p>पत्रावली पत्रे उर्ध्व) व वकील अपीलान्त अनु० / अपीलान्त भी अनुपरीकृत) व्या- आवाज लगाई गई। न तो अपीलान्त कॉर्ट न उतरे वकील ही हाजि आये। अतः अपील अपीलान्त किस प्रकारे अपील हाजिरी के खारिज की जाती है। निर्णय सुले सावधान पत्रे मुनाफा गदा। पत्रावली फंसले शुभा होम् नभल से कद हो तथा काद तदनीक तदनीक दारीक दपत्रा की जर्दी</p> <p style="text-align: right;">  21/5/18 प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राज्य अपील अधिकारी साकर </p>	

